

अनुबन्ध-I

नई लाइन के निवेश के निर्णय पर देय प्रक्रिया एवं कार्य को प्रारम्भ करने तथा उनके उपागत व्ययपर विचार करने की अपेक्षित प्रक्रिया :

(प्राधिकरण : भारतीय रेल की इंजीनियरिंग संहिता एवं वित्त संहिता)

परियोजना को निम्न प्रक्रिया अनुसार विकसित किया जाना चाहिए :

- i. भविष्य में की जाने वाली रेलवे के विकास की सामान्य योजना के साथ लाइन किस तरह से उचित रहेगी, यह निश्चित करने के लिए प्रारम्भिक अन्वेषण।
- ii. परियोजना के उद्देश्यों को निर्धारित करना।
- iii. मांग पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प निश्चित करना।
- iv. टोह सर्वेक्षण एवं यातायात सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ चयनित विकल्पों का अन्वेषण करना।
- v. इन विकल्पों की तकनीकी एवं परिचालन तथा आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाने वाली व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी।
- vi. तकनीकी एवं परिचालन व्यवहार्यता, आर्थिक विश्लेषण, सामाजिक लाभकारिता और वित्तीय मूल्यांकन हेतु सम्मिलित विकल्पों का मूल्यांकन करना।
- vii. इन सब को करते समय यातायात का स्तर, गति को परिकल्पित करना, कर्षण का माध्यम और इन सबसे ऊपर निर्माण की प्रारम्भिक लागत तथा विभिन्न विकल्पों के साथ सेवा की लागत इकाई को ध्यान में रखते हुए आदेशित ढाल व वक्रता की मात्रा जैसे मापदण्डों को निश्चित करना चाहिए।
- viii. समुचित यथार्थता की मात्रा के साथ सामाजिक सुविधाओं की गणना की जानी चाहिए। धारणा और गैर मात्रात्मक लाभ के बारे में अन्तर्निहित कारणों के किसी भी निर्णय को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।
- ix. मूल्यांकन के आधार पर योजना का चयन।
- x. संभावित व्यय का यथोचित ठीक अनुमान लगाते हुए तथा प्रस्ताव की वित्तीय सम्भावना का ठीक आकलन करते हुए प्रारम्भिक सर्वेक्षण द्वारा चयनित संरक्षण का विस्तृत परीक्षण करना ताकि इस पर सार अनुमान तैयार कर सक्षम प्राधिकारी व्यय के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दे सकें।
- xi. सार अनुमान का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन जो कि परियोजना में निवेश करने की एक प्रशासनिक संस्वीकृति है, (जिससे प्रारम्भिक कार्यों जैसे भूमि-अधिग्रहण तथा भण्डार की अधिप्राप्ति को प्रारम्भ किया जा सके)।
- xii. जिस पर परियोजना की तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई है उस विस्तृत योजना की तैयारी के लिए आवश्यक सूचना को सुरक्षित करने हेतु अंतिम क्षेत्रीय सर्वेक्षण। निर्माण के विभिन्न विवरणों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात परियोजना अनुमान/विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए ताकि कम से कम व्यय हो। दूरदर्शिता के आधार पर किसी मद के व्यय को समाप्त करने की सम्भावना। तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि (i) योजना का विस्तृत विवरण संतोषजनक है (ii) कार्य को निष्पादित करने के प्रस्तावित तरीके पर्याप्त हैं और (iii) अनुमानित लागत विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है और यथोचित सही होने की सम्भावना है।
- xiii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना अनुमान का अनुमोदन।
- xiv. कार्य के लिए बजट का आवंटन।
- xv. कार्य को प्रारम्भ करना।

रेलवे इंजीनियरिंग संहिता एवं रेलवे वित्त संहिता में नई लाइन पर निवेश के निर्णय के संबंध में विचार करने का अधिभूत सिद्धांत अनुबन्धित है :-

- i. संरक्षण का चयन
नियत उद्देश्य को साधित करने हेतु अधिकतम सूचना को एकत्र करना प्रासंगिक है। विभिन्न विकल्पों और एक खुले और पारदर्शी तरीके से प्रत्येक संबंधित पहलुओं पर तथा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तम, सेवा की इकाई लागत एवं तकनीकी और परिचालन की व्यवहार्यता पर विचार करना सही है।
- ii. कार्य का प्रारम्भ
एक नई लाइन के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को यह सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए कि (i) योजना के विवरण के संबंध में की गई कार्यवाही संतोषजनक है, (ii) या कार्य के निष्पादन के लिए प्रस्तावित तरीके पर्याप्त है, (iii) विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर लागत का अनुमान बनाया गया है और सामान्य रूप से सटीक है। संक्षेप में उसे निर्माणक्षमता, स्थिरता, चयनित संरक्षण पर बनाए जाने वाली संरचना का अनुरक्षण और निर्माण की लागत को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

अनुबन्ध-II
पूर्वी कोरीडोर एवं पश्चिमी कोरीडोर पर प्रस्तावित विभिन्न संरक्षण विकल्पों का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	राईट्स के द्वारा संस्तुति संरक्षण 1 से 50 (सी)पूर्वी कोरीडोरपर (राईट्स-1986)।	विकल्प I 1 से 40 (सी)पूर्वी कोरीडोरपर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विचार किया गया।	विकल्प II 1 से 100(सी)पूर्वी कोरीडोरपर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विचार किया गया।	पश्चिमी कोरीडोरद्वारा चयनित संरक्षण	पश्चिमी कोरीडोरपर एक अन्य संभाव विकल्प की उपलब्धता 1 से 50 (सी)(बाद में के. आर.सी.एल द्वारा सुझाया गया)।
1.	कुल लम्बाई	150.75 किमी.	122.59 किमी.	198.10 किमी.	167.60 किमी.	71.5 किमी.*
2.	कटावों की संख्या	118	108	174	84	
3.	कटावों की लम्बाई	51.909 किमी.	44.06 किमी.	60.238 किमी.	44.87 किमी.	उपलब्ध नहीं है।
4.	वक्रता (मोड़)तीक्ष्ण मात्रा	6	6	6	2.75	2
5.	6 संख्या की मात्रा की वक्रता (मोड़)	61	उपलब्ध नहीं है।	46	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।
6.	सुरंगों की संख्या	103	96	112	81	4
7.	सुरंगों की कुल लम्बाई	84.15 किमी.	87.04 किमी.	100.75 किमी.	87.2 किमी.	68 किमी.
8.	मुख्य सुरंगे I. चीनैनी II. बनिहाल	14.08 किमी. 9.95 किमी.	14.08 किमी.	15.62 किमी. 10.25 किमी.	10.03 किमी.	36.50 किमी. (तत्तापानी- काजीगुंड)
9.	मुख्य पुलों की संख्या	45	39	67	69	3
10.	आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की संख्या	5		12		
11.	लागत**	₹778.94 करोड़		₹1117.32 करोड़	₹2415.14 करोड़	₹ 6153.00 करोड़
12.	स्टेशनों की संख्या	14	10	16	14	7

* कटरा -काजीगुंड (उधमपुर - कटरा से 30 किमी. को सम्मिलित न करते हुए)।

**अनुमान विभिन्न समयावधि से संबंधित है।